[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–9 एच०एल०ए०

हरियाणा लिपिकीय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 2026

हरियाणा राज्य में लिपिकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए तथा उनसे संबंधित तथा उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा लिपिकीय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

(3) यह निम्नलिखित को लागू होगा, अर्थात्:–

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से या उसके बाद सीधी भर्ती या अनुकंपा नियुक्ति द्वारा लिपिक के पद पर नियमित आधार पर प्रारंभिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों; तथा

(ख) लिपिक के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारी, जो हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) में कवर होते हैं:

परन्तु इस अधिनियम में दी गई कोई भी बात, नियमित आधार पर लिपिक के रूप में नियुक्त निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी–

(i) किसी विधि द्वारा या के अधीन सृजित संविधानिक अथवा वैधानिक निकाय;

(ii) राजभवन; तथा

(iii) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व राज्य सरकार के किसी विभाग।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) "विलयन" से अभिप्राय है, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होते हुए किसी अन्य संवर्ग से सामान्य संवर्ग में नियुक्ति और उसके बाद उसे सामान्य संवर्ग में स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के रूप में माना जाएगा;

(ख) "लिपिक" से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल हैं, अनुसूची क में यथा उपबंधित राज्य सरकार के किसी विभाग में लिपिक के समरूप वृत्तिमूलक वेतन स्तर में स्वीकृत लिपिक, लिपिक–कम– आशुटंकक, आशुटंकक, डाटा एन्टरी ऑपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, दैनिकी–लेखक (डायरिस्ट), प्रेषणकर्मी (डिस्पेच्चर), अभिलेखापाल (रिकार्ड कीपर), खजानची, केयरटेकर, भण्डार रक्षक (स्टोर कीपर) तथा पी.बी.एक्स लिपिक के पद;

(ग) "सामान्य संवर्ग" से अभिप्राय है, राज्य सरकार के किसी विभाग में इस अधिनियम के प्रारम्भ से या उसके बाद नियुक्ति के किसी भी ढंग द्वारा नियमित आधार पर नियुक्त लिपिकों की संख्या;

(घ) "अनुकंपा नियुक्ति" से अभिप्राय है, अनुग्रहपूर्वक नीति, हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019, हरिहर व्यक्तियों की अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2021, वीर शहीद सम्मान योजना, 2023 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई नियुक्ति;

(ङ) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति से अन्यथा की गई हो;

(च) "अनुभव" से अभिप्राय है, चिकित्सा आधार से भिन्न प्रयोजन के लिए स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि को छोड़कर, सामान्य संवर्ग में नियमित आधार पर सेवा की अवधि और इसमें सामान्य संवर्ग में वरिष्ठता की गणना करने के लिए नियुक्ति की मानित तिथि की अवधि भी शामिल होगी;

(छ) "सरकार" से अभिप्राय है, मानव संसाधन विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ज) "ग्रुप घ अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5);

(झ) "सेवा का सदस्य" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से या उसके बाद सेवा में नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति;

(ञ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" या "संस्था" से अभिप्राय है,–

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय या संस्था; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय या संस्था, जो सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था के रूप में घोषित की गई है;

(ट) "भर्ती प्राधिकरण" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या सेवा में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए सरकार द्वारा गठित ऐसा अन्य निकाय;

(ठ) ''अनुसूची'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ड) ''सेवा'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन हरियाणा लिपिकीय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें);

(ढ) ''एस.ई.टी.सी.'' से अभिप्राय है, सरकार द्वारा, समय–समय पर, बनाए गए नियमों या जारी की गई हिदायतों में दिए गए उपबंधों के अनुसार ''बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा'' (भाग–I) तथा "कम्प्यूटर आधारित टंकण परीक्षा" (भाग–II) से मिलकर बनने वाली कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा;

(ण) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।

3. सेवा में नियुक्ति, महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी।

4. सीधी नियुक्ति द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या की गणना, प्रत्येक छह मास के बाद राज्य सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों के आंकड़े के आधार पर की जाएगी। पदों की संख्या।

5. हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 तथा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा, जहां तक वे लागू हों और इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित सीमा के सिवाय, सेवा के सदस्य, उनके वेतन, भत्ते, अवकाश, पेंशन तथा सेवा की शर्तों के मामले शासित होंगे: वेतन, भत्ते, अवकाश, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें।

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 केवल मृत्यु–एवं– सेवानिवृत्ति उपदान की सीमा तक लागू होंगे।

6. किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो भर्ती प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अठारह वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक हो: आयु।

परन्तु ऊपरी आयु सीमा में छूट, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के उपबंधों या सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी की गई हिदायतों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।

7. किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, अनुसूची ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त अनुसूची के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो। योग्यताएं।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

8. (1) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,–

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) किसी भी व्यक्ति, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, को भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव केवल सरकार द्वारा उसे पात्रता का आवश्यक प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करे।

अयोग्यताएं।

9. कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

10. (1) सेवा में लिपिक के पद पर भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी–

(i) 65 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ii) 30 प्रतिशत वरिष्ठता–कम–योग्यता पर सामान्य संवर्ग के ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; तथा

(iii) 5 प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति द्वारा; या

(iv) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा से उपबंधित न हों, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल वरिष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

11. (1) इस अधिनियम के अधीन लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए निम्नलिखित पात्रता के मानदण्ड होंगे, अर्थात् :— पदोन्नति के लिए पात्रता के मानदण्ड।

(i) 10+2 या इसके समकक्ष अर्हक हो;

(ii) ग्रुप घ के पद पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव पूर्ण कर लिया हो;

(iii) 70 प्रतिशत या उससे अधिक की अच्छी या बहुत अच्छी श्रेणी की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट हो;

(iv) कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ लम्बित न हो;

(v) सेवाकाल के दौरान सत्यनिष्ठा के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी न हो;

(vi) एस.ई.टी.सी. भाग–I अर्हक हो।

(2) जब कभी भी किसी भी विभाग में लिपिक का पद पदोन्नति द्वारा भरा जाना है, तो संबंधित विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु ग्रुप घ अधिनियम की अधिनियमिति से पहले भर्ती किए गए ग्रुप घ के सभी कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा। यदि इनमें से कोई भी पात्र नहीं है, तब सामान्य संवर्ग के ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों के सम्बन्ध में सूचना महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग (सामान्य प्रवर्ग शाखा) को भेजी जाएगी।

(3) उन विभागों में, जहां विभागीय सेवा नियमों में विहित पात्रता के मानदण्डों के अध्यधीन, लिपिकों से भिन्न ग्रुप ग के पद पदोन्नति या चयन द्वारा ग्रुप घ कर्मचारियों में से भरे जाने हैं और जहां ग्रुप घ अधिनियम की अधिनियमिति से पूर्व नियुक्त कोई ग्रुप घ कर्मचारी ऐसे पद पर पदोन्नति या चयन के लिए उपलब्ध नहीं है, तो सरकार द्वारा प्रत्येक पद के लिए सामान्य संवर्ग के तीन पात्र ग्रुप घ कर्मचारियों के पैनल की सिफारिश सम्बन्धित विभाग को की जाएगी।

12. एस.ई.टी.सी. अर्हक करने का पाठ्यक्रम और अन्य शर्तें और एस.ई.टी.सी. से छूट के लिए पात्रता के मानदण्ड, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पहले से ही नियुक्त लिपिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा विहित के समरूप होंगे। कम्प्यूटर में राज्य पात्रता परीक्षा।

टिप्पण.— लिपिक के पद पर पदोन्नति के बाद, कोई भी वार्षिक वेतनवृद्धि तथा आगे पदोन्नति तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक एस.ई.टी.सी. भाग–II अर्हक नहीं किया जाता, सिवाय उन कर्मचारियों के मामलों में, जिन्हें इस अधिनियम अथवा राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी नियमों/हिदायतों के अधीन छूट प्रदान की गई है।

परिवीक्षा।

13. (1) सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा से नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, उपभोग की गई अवकाश अवधि, यदि कोई हो, को छोड़कर:

परन्तु--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस धारा के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी नियमित पद पर नियुक्त न किया गया हो, तो पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह,–

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया है तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,–

(i) यदि ऐसा व्यक्ति किसी नियमित रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) यदि कोई नियमित रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में, सन्तोषजनक न रहा हो तो,–

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा से नियुक्त किया गया

है, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई है, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

14. सेवा के सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता, भर्ती प्राधिकरण द्वारा भेजी गई योग्यता सूची के अनुसार निश्चित की जाएगी: वरिष्ठता।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, योग्यता नियत करते समय भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि नियुक्ति के विभिन्न ढंगों द्वारा एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों के मामले में, उनकी वरिष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, अन्यथा से नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(ख) अनुग्रहपूर्वक नीति के अधीन नियुक्त सदस्य, पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(घ) विलीन सदस्य, किसी रिक्त पद पर समयोजित किए गए अधिशेष सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(ड़) ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा या किसी अन्य विभाग या संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा दो या दो से अधिक नियुक्त सदस्यों के मामले में उनकी वरिष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की वरिष्ठता के अनुसार ही निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किए गए थे; और

(च) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, उनकी वरिष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य, आयु में छोटे सदस्य से वरिष्ठ होगा।

15. इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, नियुक्ति पत्र में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगा सकता है, यदि ऐसा करना समीचीन है। विशेष उपबंध।

आरक्षण।

16. इस अधिनियम में दी कोई भी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार वंचित अनुसूचित जातियों, अन्य अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

17. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगााने के लिए प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, वे होंगे, जो इन नियमों की अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (च) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा, जो इन नियमों की अनुसूची घ में विनिर्दिष्ट है।

सेवा करने का दायित्व।

18. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग और हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है–

(i) किसी कम्पनी, संघ या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संघ या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

अध्यारोही प्रभाव।

19. तत्समय लागू किसी भी सेवा नियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन सामान्य संवर्ग में लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए प्रभावी होंगे।

20. यदि किसी पद की प्रकृति और कर्तव्यों के लिए कोई प्रशिक्षण या तकनीकी या वृत्तिक ज्ञान अपेक्षित है, तो ऐसे पद पर उम्मीदवार के चयन तथा नियुक्ति के बाद सरकार द्वारा ऐसी सेवा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और किसी ऐसे प्रशिक्षण या कोर्स को पास करना, सेवा में पुष्टि करने के साथ–साथ किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए सेवा के सदस्य के कार्य और आचरण को निर्धारित करते समय उसके कर्तव्यों का भाग रूप होगा। कतिपय पदों के लिए प्रशिक्षण।

21. सेवा के किसी सदस्य को निलम्बित करने की शक्ति, महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग के पास होगी। निलम्बन।

22. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

24. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित या रद्द कर सकती है। अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखी जाएगी।

अनुसूची क

[देखिए धारा 2(ख)]

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान
1	लिपिक	वृत्तिमूलक वेतन स्तर–3, सैल–1 = 21700–69100 / – रूपए

टिप्पण 1.– जहां इस अधिनियम के अधीन आने वाले किसी पद के वेतनमान के साथ कोई विशेष वेतन है (उदाहरणार्थ हरियाणा सिविल सचिवालय, वित्तायुक्त सचिवालय, विधि तथा विधायी विभाग में लिपिक के पद के लिए उच्चतर वेतनमान के बदले में 40 / – रूपए विशेष वेतन) तो इस प्रकार नियुक्त लिपिक, इन कार्यालयों में नियुक्ति की अवधि के दौरान वैयक्तिक उपाय के रूप में उसके हकदार होंगे।

अनुसूची ख

[देखिए धारा 7]

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी नियुक्ति या अनुकंपा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	लिपिक	(i) 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी। ***टिप्पण.***— लिपिक के रूप में पदग्रहण करने के बाद वार्षिक वेतनवृद्धि और आगे पदोन्नति लेने के लिए एस.ई.टी.सी. के दोनों भाग उत्तीर्ण करने होंगे।	**पदोन्नति द्वारा–** (i) 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) ग्रुप घ के पद पर पांच वर्ष का अनुभव; (iii) एस.ई.टी.सी. भाग–I; तथा (iv) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी। **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी। ***टिप्पण.***— लिपिक के रूप में पदग्रहण करने के बाद यदि पहले से ही एस.ई.टी.सी. के दोनों भाग उत्तीर्ण नहीं किए गए हैं, तो वार्षिक वेतनवृद्धि और आगे पदोन्नति लेने के लिए एस.ई.टी.सी. के दोनों भाग उत्तीर्ण करने होंगे।

अनुसूची ग

[देखिए धारा 17]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	लिपिक	महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग	(i) **छोटी शास्तियां**— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	विभागाध्यक्ष, जहां पदधारी कार्यरत है/था।	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, मानव संसाधन विभाग
			(ii) **बड़ी शास्तियां**— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग	

अनुसूची घ

[देखिए धारा 17]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	लिपिक	महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग	(i) हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के अधीन अनुज्ञेय मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की राशि को रोकना; (ii) सेवा की समाप्ति; (ii) अधिवर्षिता की आयु पूरी होने से पूर्व लोकहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति।	महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, मानव संसाधन विभाग

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

किसी भी विभाग में नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति तक वहीं सेवा करता रहता है और उस विभाग की वरिष्ठता सूची में शामिल होता है। आम तौर पर, प्रत्येक कैडर या पद के लिए अलग–अलग वरिष्ठता सूचियां रखी जाती हैं, जिनमें पूरे हरियाणा में मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के बीच अंतर किया जाता है। पदोन्नतियां संबंधित विभागीय सेवा नियमों के अनुसार की जाती हैं, लेकिन इस प्रणाली के परिणामस्वरूप अक्सर क्षेत्रीय कैडर के कर्मचारियों को विशेष रूप से ग्रुप ग के पदों पर पदोन्नति के लिए 10 से 20 वर्षों तक की लंबी देरी का सामना करना पड़ता है, जबकि मुख्यालयों में उनके समकक्षों को लगभग पांच या उससे अधिक वर्षों की सेवा के बाद ही पदोन्नति मिल जाती है।

इस असमानता को दूर करने और पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए, हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के माध्यम से ग्रुप घ के लिए एक सामान्य कैडर स्थापित किया गया था। अब इस सामान्य कैडर के भीतर ग्रुप घ कर्मचारियों की पदोन्नति को विनियमित करने के लिए उपयुक्त प्रावधान तैयार करना आवश्यक है।

नायब सिंह,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 25 अप्रैल, 2026

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 25 अप्रैल, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

हरियाणा लिपिकीय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 2026 के खंड 22 की धारा की अपेक्षा अनुसार सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है तथा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा। इसलिए, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन आवश्यक रूप से प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन।

12570—H.V.S.—H.G.P., Pkl.